

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)**

**प्रेस विज्ञापित**

**विज्ञापन संख्या-4/2019**

**विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पदों पर मानदेय आधारित संविदा  
के आधार पर नियोजन**

बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली-2019 – अधिसूचना संख्या-72 (3) दिनांक 27.02.2019, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 तथा संकल्प संख्या-12534 दिनांक 17.09.2018 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के नवसृजित संविदा पदों के विरुद्ध विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर Login किया जा सकता है।

2. (क) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कुल पद :- 550 (पाँच सौ पचास)

| आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ |                  |                    |             |                        |           |                          |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| अनुसूचित जाति            | अनुसूचित जन जाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला | अनारक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 88                       | 06               | 99                 | 66          | 16                     | 220       | 55                       |

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342 दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण एवं परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या-13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

3. आरक्षण :- (i) राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

4. मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता :-

| क्र० सं० | पदनाम                   | न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता                                    | मानदेय                                                                                                                                         | न्यूनतम कार्य अनुभव                                                  | अभ्युक्ति                                                                                             |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | विशेष सर्वेक्षण कानूनगो | सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा + 2 (दो) वर्ष का न्यूनतम अनुभव | 36000/- (मानदेय 29202.50/-, EPF and ESI सरकार का अंशदान-2797.50/-, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति-4000/- प्रतिमाह 12 माह के लिए) | दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव | न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय होगा |

5. उम्र सीमा :-

(i) न्यूनतम आयु - दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।

(ii) अधिकतम आयु - अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।

6. नियोजन अवधि :- मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2020 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

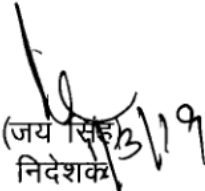
7. **चयन प्रक्रिया :-** मैट्रिक, डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेधासूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:- यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80 प्रतिशत, डिप्लोमा में 70 प्रतिशत एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात् दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज  $(80 \times 10 / 100 = 8 \text{ अंक})$ , डिप्लोमा में वेटेज  $(70 \times 70 / 100 = 49 \text{ अंक})$  एवं दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए  $(2 \times 5 = 10 \text{ अंक})$  देय होगा, इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज-  $(8+49+10)$  अर्थात् 67 अंक का दिया जायेगा।

8. Online आवेदन दिनांक-11.03.2019 से 01.04.2019 के अपराह्न 11:59 बजे तक स्वीकार होंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकालकर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।

10. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। निदेशालय विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है।

9. विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर देखी जा सकती है।

10. [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर Login करने के बाद नियोजन से संबंधित Link प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी के मोबाईल एवं ई-मेल पर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा Personal Details, Educational Details, Photo & Signature एवं Document upload की कार्रवाई की जा सकेगी। Online आवेदन पत्र के Submit करने के पहले अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है। एकबार Application Form Final Submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में Application Form में सुधार/Edit का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

  
(जय सिंह)  
निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण